न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 13 / 2025 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण दौसा

— आवेदक—

बनाम

1. श्री नरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता
   मैसर्सः—अग्रवाल मिष्ठान भण्डार एण्ड किराना स्टोर, हिसार वाली धर्मशाला, बालाजी गेस्ट हाउस के पास, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरा सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गतएफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 30.04.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी ने दिनांक 09.10.2024 को दोपहर 01:30 बजे मैसर्स :— अग्रवाल मिष्ठान भण्डार एण्ड किराना स्टोर, हिसार वाली धर्मशाला, बालाजी गेस्ट हाउस के पास, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरा सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री नरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार एण्ड किराना स्टोर का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर एक साफ सुथरी प्लास्टिक की थैली में लगभग 5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** विक्रय हेतु रखी हुई थी। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** खरीदा। जिसकी कीमत 600 रूपये नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर—बराबर **(500-500 gm)** डालकर डिब्बो को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान एवं एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर नमूनों पर डी. ओ. व सीएमएचओ द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर एजी—4470 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा चारो नमूना भागो को अलग—अलग खाकी कागज मे लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी—4470 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रैपर पेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षकर सील बन्द चारों नमूना भागों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 14:03:35 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.10.2024 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म संख्या 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं द्वारा दिनांक 10.10.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द पैकिट व फार्म संख्या 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 10.10.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./3986/एक्ट/2024/3934 दिनांक 21.10.2024 को प्राप्त हुई। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** का नमूना खुली अवस्था में विक्रय किया जाने के कारण एफ.एस.एस.ए. के नियम संख्या 2.3.14(15) के उल्लंघन पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री इनायत हुसैन उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./3986/एक्ट/2024/3934 दिनांक 21.10.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** के नमूने की जांच रिपोर्ट में खुली अवस्था में विक्रय किये जाने के कारण **Food Safety and Standards(Prohibition and Restrictions on Sales Regulation 2011** के रेगुलेशन संख्या 2.3.14(15) का उल्लंघन **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** होना पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** का खुली अवस्था में विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 (2) (**V**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना [illegible] में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:35 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी अभियुक्त अन्तर्गत धारा एफएसए एक्ट 2006 सपठित नियम 2011 में जुर्म स्वीकार कर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा कभी भी कोई सामग्री मिलावट की ना तो बनायी गयी है ना ही बनाकर बेची गई है। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का श्रम करे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /3986/एक्ट/2024/3934 दिनांक 21.10.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** का खुली अवस्था में विक्रय किये जाने के कारण खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** का नमूना **Food Safety and Standards(Prohibition and Restrictions on Sales Regulation 2011** के रेगुलेशन संख्या 2.3.14(15) का उल्लंघन होना पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) (V) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 58 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री नरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता मैसर्सः–अग्रवाल मिष्ठान भण्डार एण्ड किराना स्टोर, हिसार वाली धर्मशाला, बालाजी गेस्ट हाउस के पास, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरा सिकराय जिला दौसा पर 5,000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 30.04.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)**के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक / FSSA/ 2025 / दिनांकः– .2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री नरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता मैसर्सः–अग्रवाल मिष्ठान भण्डार एण्ड किराना स्टोर, हिसार वाली धर्मशाला, बालाजी गेस्ट हाउस के पास, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरा सिकराय जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:35 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा